CENTRAL SECRETARIAT
11.1.72

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 500] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 1971/आश्विन 13, 1893
No. 500] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 1971 ASVINA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 5th October 1971

S.O. 3746—Whereas the Central Government has, by its notified order in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade, No. S.O. 1027 dated the 6th March, 1971, issued under clause (b) sub-section (i) of Section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Board of Management consisting of Sarvashri R. V. Subrahmanian, M. Dhar and M. N. Dutta to take over the management of the industrial undertaking known as M/s. Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereafter in this order referred to as the industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said notified order under section 18-A.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisionsmentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
(1)	(2)
Section 255 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 264 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.

(1)	(2)
Section 270 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 283 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 284 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 293 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 294 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 309 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 310 . . .	The provisions of this sction shall not apply to the indusrial undertaking.
Section 311 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.
Section 314 . . .	The provisions of this section shall not apply to the industrial undertaking.

[No. 1/14/71-P.S. Cell.]

R. V. SUBRAHMANIAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1971

का० आ० 3748.—केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में अपने अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 1027 दिनांक 6 मार्च, 1971 के द्वारा, जिसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उप-धारा (1) खण्ड (ख) के अधीन जारी किया गया, मे० ब्रेथवेट ऐण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि०, कलकत्ता (इस आदेश में बाद मे जिसका उल्लेख औद्योगिक उपक्रम के रूप में होगा) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्रबन्धक बोर्ड को जिसमें सर्व श्री आर० बी० सुब्रह्मण्यन, एम० धर तथा एम० एन० दत्त हैं उसमें दी गई अवधि तक अपने हाथ में लेने के लिये प्राधिकृत किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 18ङ० की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, प्रतिबन्धों तथा परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रमों में उसी प्रकार लागू बना रहेगा जैसा कि धारा 18-क के अधीन उक्त अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले लागू होता था ।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध	अपवादों, प्रतिबन्धों तथा परिसीमाओं जिनके अधीन कालम (1) में उल्लिखित उपबन्ध उपक्रम में लागू होगा ।
1	2
धारा 255	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 264	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 270	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 283	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 284	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 293	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 294	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 309	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 310	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 311	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।
धारा 314	इस धारा के उपबन्ध औद्योगिक उपक्रम में लागू नहीं होंगे ।

[सं० 1/14/71-पी०एस० सेल]

आर० वी० सुब्रह्मण्यन, अपर सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971